

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.4(15)वित्त-1(1)आ.व्य./2016

जयपुर, दिनांक : 14 मार्च, 2019

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
बजट नियन्त्रण अधिकारी,
राजस्थान सरकार।

विषय:- वर्ष 2018-19 के वास्तविक व्यय की सूचना एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराने बाबत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 समाप्ति की ओर है तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 31.03.2019 तक हुए वास्तविक व्यय के आधार पर राज्य के लेखों का आधिक्य/बचत विवरण पत्र (Excess/Saving Statement) एवं पुनर्विनियोजन आदेश (Re-appropriation order) प्रधान महालेखाकार, राजस्थान को उपलब्ध कराया जाना है।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष एवं बजट नियन्त्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके नियन्त्रणाधीन बजट शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2019 को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) पर उपलब्ध दिनांक 31.03.2019 तक विस्तृत शीर्षवार वास्तविक व्यय को विभागीय लॉग-इन (Login) से डाउनलोड कर अद्यतन (Update) करना सुनिश्चित करें।


डाउनलोड के लिए एक्सेल फाईल [Excel File(.xls)] आपके लॉग-इन पर "आधिक्य/बचत" विकल्प (Excess-Saving Option) पर उपलब्ध होगी। इस फाईल में निम्न कॉलम उपलब्ध होंगे :-

1	BFC Type (Central Assistance/State Fund)
2	Head Type (Voted/Charged)
3	Major Head
4	Sub Major Head
5	Minor Head
6	Sub Minor Head
7	Group Head
8	Object Head
9	Expenditure

इस विषय में कृपया निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें:-

1. विभागीय स्तर पर सिर्फ कॉलम 9 को अद्यतन करना है।
2. व्यय को अद्यतन करते समय महालेखाकार कार्यालय में जिन बजट शीर्षों में स्थानान्तरण प्रविष्टि (T.E.) प्रस्तुत की गई है अथवा की जानी है, उसको समावेशित करना सुनिश्चित किया जावे।
3. अन्तिम आधिक्य-बचत के संक्षिप्त कारण विशेष विवरण के कॉलम में आवश्यक रूप से दर्ज किये जावें। कारण ड्रॉप बॉक्स में अंकित है। अपवादिक स्थिति में यदि कोई विशिष्ट कारण हो तो उसे हार्डकॉपी में अंकित किया जाये। किसी भी स्तम्भ (Coloumn) व पंक्ति (Row) को हटाया (Delete) न जाये।
4. विभाग द्वारा प्रेषित अन्तिम व्यय एवं महालेखाकार के लेखों में वर्ष के अन्त में दर्शाये जाने वाले व्यय में अन्तर की स्थिति न रहे, इस तथ्य को कृपया सुनिश्चित करावें।

5. बजट नियंत्रण अधिकारियों जिनके नियंत्रणाधीन बजट शीर्षों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राशि का उपयोग किया जाता है, उन बजट शीर्षों में दिनांक 31.03.2019 तक के व्यय की सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त की जा कर प्रेषित की जावे। उल्लेखनीय है कि उक्त बजट शीर्षों में व्यय की सूचना संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ही प्रेषित की जानी है। जिन बजट शीर्षों के व्यय में प्रतिशतता व्यय की राशि सम्मिलित की जानी है उसको सम्मिलित करना भी सुनिश्चित किया जावे।
6. अद्यतन करने के पश्चात् इसे एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड कर दें। अपलोड बटन भी आधिक्य/बचत विकल्प (Excess Saving option) पर उपलब्ध है।
7. व्यय की सूचना एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड कर दिनांक 05.04.2019 तक हार्ड-कॉपी वित्त (बजट) विभाग को उपलब्ध करावें।


(मंजू प्रसाद)


शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उपशासन सचिव, वित्त विभाग।
4. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।



संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)